# न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 16/2013 पुनः दर्ज 301/13
वाद दायरी दिनांक : 16/01/2013, पुनः दर्ज 09/09/2013
निर्णय दिनांक : 13/11/2017

1. लाली उर्फ हरकू पुत्री चौथमल, पत्नि सत्यनारायण, जाति ब्राहाम्ण निवासी बगरू हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादीनी

बनाम

1. चौथमल पि0 छीतर जाति ब्राहाम्ण, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. भींवराज पुत्र चौथमल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

## वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – *श्री राजेन्द्र सिंह गण्डावरी*
*श्री संजय सिंह सिरोही*
*श्री रामजीलाल शर्मा*
*विद्वान अधिवक्ता वादी-नी*

*श्री भैरूलाल शर्मा*
*विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2*

*प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।*

निर्णय दिनांक 13/11/2017

## –: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, विवादित आराजी खतौनी संख्या 391 के आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 3.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 3.59 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 7.22 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में व खतौनी संख्या 152 के आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.59 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वादी-नी 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं एवं काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी वादीयां की मोरूसी मुश्तर्का आराजी रही है, जिसका पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में स्व0 नानूजी के नाम

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

से आया था, जिनकी फौती पर वादीया के दादा के पश्चात पिता चौथमल के नाम विरासत के आधार पर आराजी चली आ रही है। वादीया के पिता मौरूसी मुश्तर्का आराजी को बिना विधिवत विभाजन किये आराजी को विक्रय करने के लिये आराजी पर अनजान व्यक्तियों के साथ लेकर आये, जिससे वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा चुपचाप में ही विक्रय करने की जानकारी हुई, जबकि वादीया का विवादित आराजी में बाई बर्थ नोशनल शेयर होने के बावजूद भी वादीया के हितों की अनदेखी कर वादीया को उसके हक हकुको से महरूम करने पर आमादा रहे है। वादीया गरीब परिवार से है तथा अपने पीहर में निवास कर अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर अपना जीवनयापन कर रही है। वादीया आर्थिक रूप से कमजोर है जिसका नाजायज लाभ उठाकर आराजी को खुर्द बुर्द करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तुले हुये है। प्रतिवादी संख्या 1 की नीयत में फितुर उत्पन्न हो गया है, इसलिये आराजी का विक्रय कर समस्त धनराशि प्रतिवादी संख्या 2 को देकर वादीया को अपने हक हकूकों से महरूम करना चाहता है, जिसकी जानकारी वादीया को होने पर वादीया ने दिनांक 10/01/2013 को अपने हिस्से की आराजी स्वयं के नाम लगाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाराज हो गये एव ऐलानिया धमकी दी कि जल्दी ही आराजी को विक्रय कर तुम्हे मौके से बेदखल करेंगे, इसलिये उनवानी वाद-पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादीया ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि यह कि वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद-पत्र के पैरा संख्या 2 में वादीनी 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है, इस आशय की तहरीर तहसीलदार मौजमाबाद को भिजवायी जावे। प्रतिवादीगण के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद-पत्र का पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी में वादीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा न ही विवादित आराजी का रहन, बेय, मुन्तकिल करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) बूंदी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनाक 10/02/2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली। दिनांक 17/06/2014 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनाक 15/04/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया।

दिनांक 29/04/2015 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से [illegible] लिखित [illegible] जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 28/09/2015 को वादीया की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 जा0 दी, जवाब उल जवाब, दस्तावेजों की सूची किता-1 दस्तावेज 4 पेश की, जो शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 28/03/2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 13/11/2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संशोधित राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, संशोधित राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 391, 152, सम्वत 2063 मय मिलान क्षेत्रफल का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा नानू वल्द बालू के नाम से जारी होना पाया जाता है, तत्पश्चात उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात उसके वारिश छीतर एवं तत्पश्चात वादीया के पिता चौथमल एवं बड़े पिता भंवरलाल को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में भंवरलाल, चौथमल पुत्रान छीतर कौम ब्रा.सा. दे हके नाम से दर्ज है तत्पश्चात भंवरलाल की विरासत पर अकेले चौथमल के नाम दर्ज हुई है। वादीया द्वारा अपने पिता चौथमल के नाम दर्ज उक्त आराजी में 1/3 हिस्से की घोषणा चाही है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया है, जिसमें बताया गया कि भंवरलाल नाऔलाद फौत हुआ, लेकिन भंवरलाल ने अपने अन्तिम क्षणों में प्रतिवादी संख्या 2 को अपनी सम्पति का मौखिक वसीयत के अनुसार वारिस घोषित कर दिया गया है, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने भंवरलाल के दर्ज 1/2 हिस्से का एवं चौथमल के दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्से की काउन्टर क्लेम में घोषणा चाही है काउन्टर क्लेम पेश होने के पश्चात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा होकर पेश हुआ जो इस पत्रावली में रिकार्ड पर है, राजीनामा में भी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का समर्थन करते हुये वादग्रस्त आराजीयात में मौके पर काबिज अनुसार अलग–अलग खसरा नम्बरान दर्शित करते हुये काबिज अनुसार घोषणा चाहकर उसी अनुसार तकासमा करवाना चाहा है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार चूंकि विवादित आराजीयात वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से पैतृक आराजीयात होना साबित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वादीया अपना वाद–पत्र साबित करने में पूर्णतया सफल रही है, लेकिन चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जो काउन्टर क्लेम पेश किया है, उस काउन्टर क्लेम के आधार पर पक्षकारान ने संशोधित राजीनामा पेश कर दिया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम व संशोधत राजीनामा अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीया का वाद बरूये संशोधित राजीनामा व काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर विवादित आराजी याके ग्राम बोराज व सुरपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का निम्नानुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

| क्र. स. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | हरकू देवी उर्फ लाली देवी के हक में (वादीया) | 193 | 0.5058 हैक्टेयर (2 बीघा) उत्तर दिशा | बोराज |
| | | 701 | 0.7587 हैक्टेयर (3 बीघा) दक्षिण दिशा | बोराज |
| | | 588 | 0.5058 हैक्टेयर (2 बीघा) पश्चिम दिशा | सुरपुरा |
| | कुल किता 03 | | कुल रकबा 1.7703 हैक्टेयर (7 बीघा) | |
| नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित। | | | | |
| 2. | चौथमल के हक में (प्रतिवादी संख्या 1) | 701 | 1.1096 हैक्टेयर (4 बीघा 8 बिस्वा) | बोराज |
| | कुल किता 01 | | कुल रकबा 1.1096 (4 बीघा 8 बिस्वा) | |
| नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शित। | | | | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | भींवराज के हक में (प्रतिवादी संख्या 2) | 193 | 3.1242 हैक्टेयर | बोराज |
| | | 701 | 1.7217 हैक्टेयर | बोराज |
| | | 588 | 0.3242 हैक्टेयर | सुरपुरा |
| | | 589 | 0.01 हैक्टेयर | सुरपुरा |
| | | 590 | 0.59 हैक्टेयर | सुरपुरा |
| | कुल किता 05 | | कुल रकबा 5.7701 हैक्टेयर (22 बीघा 16 बिस्वा) | |
| नजरी नक्शे में सफेद रंग से दर्शित। | | | | |

संशोधित राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के लगान की फेटबन्दी की जाकर खाता अलहदा-अलहदा किया जाता है। संशोधित राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शे निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गुप्ता

[redacted]

राज ... प्रकाशन, जयपुर ...

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

व इजलास श्री तिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

लाली उर्फ [illegible] पुत्री चौथमल बनाम 1. [illegible] 2. [illegible]

[illegible] जाट दावा बाबत [illegible] [illegible]

[illegible] मुकदमा नं. 16/2013 [illegible] दर्ज 30/1/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता [illegible]

व [illegible] निम्नलिखित मुद्दई जानिब श्री कैलाश [illegible]

निम्नलिखित मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] किया जाता है :—

मिति ........ मुबलिग ........ बाबत ........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ........ फीसदी ........ आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ........ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 11 सन 2017 को

जारी की गई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

दस्तखत ........

मुहर ........ ओहदा ........

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।